न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, उन्नाव।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं0–97/2022

अन्तर्गत धारा 446 द0प्र0सं0

सरकार बनाम शान्ती देवी आदि।

दिनांक–09.09.2023

पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुयी। आवेदक राकेश कुमार की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र देते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी उक्त मामले में जमानतदार है। प्रार्थी की जगह किसी ने फर्जी जमानत ली है। प्रार्थी गरीब है। वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। वह अपना जुर्म स्वीकार के आधार पर मुकदमें का निस्तारण कराना चाहता है तथा जुर्म इकबाल के आधार पर वाद को निस्तारित किये जाने की याचना की गई।

सुना। पत्रावली आज लोक अदालत में नियत है। प्रार्थी/जमानतदार राकेश कुमार द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 290/2014 राज्य प्रति इन्तजार में अभियुक्त के गैरहाजिर होने के आधार पर उसके विरूद्ध धारा 446 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया था। समस्त तथ्य एवं लोक अदालत को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/जमानतदार राकेश कुमार को 2,000/–रू0 जमा करने की अनुमति दी जाती है। जुर्माना अदा करने के उपरान्त प्रार्थी/जमानतदार राकेश कुमार को उसके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। प्रार्थी/जमानतदार राकेश कुमार के विरूद्ध कार्यवाही धारा 446 द0प्र0सं0 समाप्त की जाती है।

पत्रावली दिनांक 03.10.2023 को पेश हो। जमानतदार/प्रार्थिनी शान्ती देवी को नियत तिथि के लिए नोटिस जारी हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–1,उन्नाव।
09.09.2023